Bihar State Bar Council

Ramakant Sharma
Chairman

Bar Council Bhawan
East of Patna High Court
Patna - 800 001
Ph.: 0612-2505583, 2504125
Email : bsbcpatna@gmail.com

Ref. 1075/2026 Date 22.04.2026

To,

All the respected President and General Secretary
All the Associations of Advocates in Bihar.

Respected Friends,

Please find enclosed herewith a letter written by the Learned Advocate General, Bihar addressed to the undersigned which is being communicated with a request to all the Associations of Advocates across the State about enforceability of stipend scheme. Please go through the appended letter written by learned Advocate General addressed to the Chairman, Bihar State Bar Council and do the needful so that the eligible candidates for stipend, as per the scheme of the State Government to provide stipend to newly enrolled Advocates @ Rs. 5,000/- (Five thousand) per month to the Advocates enrolled on 1.1.2024 onwards.

Hence all the friends President and General Secretary all over the State are requested to take necessary steps so that the benefit of the scheme be given to the eligible newly enrolled young Advocates.

Thanking you.

20.4.26
(RAMAKANT SHARMA)
Chairman
Bihar State Bar Council

Encl : As above.

(4)

Letter No. 69 /Patna Dated 17.04.2026

Office of the Advocate General, Bihar
High Court, Patna

From,

Shri Prashant Kumar Shahi,
The Advocate General, Bihar

To,

The Chairman,
Bihar State Bar Council, Patna

Sub:- Stipend to newly Enrolled Advocates

See
Communication to all association of Bihar forthwith
18/4/26

You are fully aware that the State Government has approved a scheme to provide stipend to newly Enrolled Advocate @ Rs.5,000/- per month. Approval of the State Government contained a condition that the Trustee Committee shall formulate broad guidelines in consultation with Law & Finance Department. In the meeting of the Trustee Committee dated 14.10.2025 resolution no. 64 was approved laying down broad guidelines. The same has been approved by Law & Finance Department and has been communicated vide memo no. 2181 dated 16.03.2026. Copy of communication dated 16.03.2026 is enclosed herewith.

It is my earnest request that all Advocate Associations across the State may be intimated about enforceability of stipend scheme. The terms and condition as formulated by the Trustee Committee and approved by Law & Finance Department will be applicable. The applicants desirous of getting the benefit of stipend are required to fulfill the conditions duly approved and communicated. In view of aforesaid development, it seems appropriate that the State Bar Council communicates the terms and conditions applicable for entitlement to stipend to all Advocate Associations of the State.

Once the communication is delivered to respective Advocate Associations, the Trustee Committee shall publish a separate advertisement inviting application for short-listing of eligible Advocates to facilitate payment of stipend as approved by the State Government.

P.K. Shahi
17.4.26

Encl:- As above.

(Prashant Kumar Shahi)
Advocate General, Bihar

पत्र सं0-ए0/ए0बी0-02/2025...2181..../जे0

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव, बिहार।

सेवा में,

विद्वान महाधिवक्ता-सह-अध्यक्ष,
बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति,
बार काउन्सिल भवन, पटना

पटना, दिनांक..16/03/2026

विषयः- **बिहार राज्य के अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु समग्र नीति के अनुपालन के संबंध में ।**

प्रसंगः- **भवदीय पत्रांक-30, दिनांक-13.01.2026 एवं सचिव, बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति का पत्रांक-2190, दिनांक-24.12.2025**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संबंध में सूचित करना है कि राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य के अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु समग्र नीति की स्वीकृति विभागीय संकल्प संख्या-6376/जे0, दिनांक-04.10.2025 द्वारा प्रदान की गयी है।

उक्त संकल्प की कंडिका-2 (क) एवं (ख) में वर्णित प्रावधानों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति द्वारा विधि विभाग, बिहार एवं वित्त विभाग, बिहार की सहमति से जारी किया जाना है।

बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति के प्रासंगिक पत्रों द्वारा उक्त संकल्प की कंडिका-2 (क) में वर्णित प्रावधान के तहत दिनांक-01.01.2024 को या उसके पश्चात् Enrolled सभी नये अधिवक्ताओं को तीन वर्ष तक 5000/-रुपया प्रतिमाह की दर से Stipend के भुगतान हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश संबंधी प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, जिसपर विधि विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गयी सहमति से संबंधित टिप्पणी पृष्ठों की छाया प्रति संलग्न है।

अतएव अनुरोध है कि विधि विभाग एवं वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के आलोक में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुये तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(अंजनी कुमार सिंह)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक- ....2181..../जे0, पटना दिनांक...16/03/2026

प्रतिलिपिः- सचिव, बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति, बिहार बार काउन्सिल भवन, पटना को उनके पत्रांक-2190, दिनांक-24.12.2025 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.03.26

(अंजनी कुमार सिंह)
सरकार के सचिव, बिहार।

D:\Gaurav Sec A\Trustee Committee Docs

संचिका संख्या HAB-02/25

बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति, बिहार बार कॉउन्सिल भवन, पटना का पत्रांक-2190, दिनांक-24.12.2025, पृ0-33/प0

कृपया पृ0-33-30/प0 अवलोकनार्थ।

प्रस्तुत पत्र बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति, बिहार बार कॉउन्सिल भवन, पटना से प्राप्त हुआ है, जिसके साथ बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति की दिनांक-12.12.2025 को आयोजित बैठक की कार्यवाही संलग्न है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य के अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु समग्र नीति की स्वीकृति विधि विभागीय संकल्प सं0-6376/जे0, दिनांक-04.10.2025 द्वारा निर्गत है।

उक्त संकल्प, दिनांक-04.10.2025 की कंडिका-2 द्वारा संसूचित है कि दिनांक-01.01.2024 को या उसके पश्चात Enrolled सभी नये अधिवक्ताओं को तीन वर्ष तक 5,000/- रूपये प्रति माह के दर से Stipend भुगतान के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश बिहार राज्य अधिवक्ता कल्याण समिति द्वारा विधि विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति से जारी किया जायेगा।

विदित हो कि इस आलोक में बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति द्वारा दिनांक-12.12.2025 को आयोजित बैठक में संकल्प सं0-64 के माध्यम से अधिवक्ताओं के लिये stipend के संबंध में निम्नांकित विचार/निर्णय लिया गया है:-

1) On the date of application for stipend, the age must be within 22 to 32 years.
2) Earlier employed in any Government/PSUs Institution, the advocate will not be eligible for the benefit of Stipend.
3) Certificate of the Practice/Experience issued by Ld. Advocate of concerned Bar Association with whom the Advocate is attached.
4) Income of the father/mother must not be more than 12 lakhs.
5) The Advocate must not be involved in any occupation/business either in his/her own name or in the name of spouse.

   Note– The Advocate must submit an affidavit regarding his non engagement in any occupation or business.
6) The Advocate must be enrolled with Bihar State Bar council, Patna.
7) Certificate of active practice issued by the concerned Bar Association must be submitted by the Advocate.
8) Residential/Domicile certificate of the Bihar State.
9) The Advocate must do practice in the Court/Tribunal in the State of Bihar.
10) If the Advocate was earlier enrolled in other State(s) Bar Council and later on he/she is migrated/enrolled in the Bihar State Bar Council, he/she will be eligible for stipend only for the remaining prescribed period.

संचिका संख्या A/AB-02/25

11) The Advocate should pass AIBE examination within 2 years from the date of enrollment in State Bar Council.
12) After one year of taking benefit of stipend the proof of appearance in minimum 5 cases per year must be submitted by the Advocate for taking benefit of stipend for remaining 2 years.
13) It is compulsory to be the member of the Trustee Committee after passing the AIBE Exam for taking benefit of remaining period of stipend.
14) The stipend of remaining period will not be provided after statutory period in case of not passing the AIBE Exam.
15) The Advocate must be punished/convicted in any criminal case.
Note- The Advocate must submit an affidavit regarding his non conviction in any criminal case.
16) The Advocate must be a Pan Card holder.
17) The decision of Bihar Advocates Welfare Trustee Committee shall be final in the matter of granting or refusing any application regarding the benefit of stipend.

अतएव उपर्युक्त के आलोक में विधि विभागीय संकल्प सं0-6376/जे0, दिनांक-04.10.2025 की कंडिका-2(क) के संबंध में बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति की दिनांक-12.12.2025 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप उपर्युक्त प्रस्ताव पर सर्वप्रथम माननीय मंत्री, विधि का अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।

अनुमोदनोपरान्त वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तुत संचिका वित्त विभाग को पृष्ठांकित की जा सकेगी।

05/01/26
(कुमार गौरव)

अवर सचिव

पूर्व पृष्ठ से आगत कार्यालय की टिप्पणी।

बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति की दिनांक-12.12.2025 को आयोजित बैठक में संकल्प संख्या-64 के माध्यम से विधि विभागीय संकल्प सं0-6376/जे0, दिनांक-04.10.2025 की कंडिका-2(क) के आलोक में दिनांक-01.01.2024 को या उसके पश्चात Enrolled सभी नये अधिवक्ताओं को तीन वर्ष तक 5,000/- रूपये प्रति माह के दर से Stipend भुगतान के संबंध में लिये गये निर्णय जिसका विस्तृत विवरण कार्यालय टिप्पणी की कंडिका-1 से 17 में उल्लेखित है, पर सर्वप्रथम माननीय मंत्री, विधि का अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।

अनुमोदनोपरान्त वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तुत संचिका वित्त विभाग को पृष्ठांकित की जा सकेगी।

05/01/26

संयुक्त सचिव

साचिका संख्या अ०क०B-02/2025

पृ० 19/टि० से लगातार टिप्पणी।

तदनुसार विभागीय संकल्प सं० 6376 दि० 4.10.2025 (पृ० 27-25/प०) की कंडिका - 2 के आलोक में दि० 1.1.24 को या उसके पश्चात Enrolled सभी नये अधिवक्ताओं को 3 (तीन) वर्ष तक 5000/= (पाँच हजार) रुपये प्रतिमाह stipend के भुगतान हेतु शर्तों से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार कर अनुमोदन हेतु बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति द्वारा भेजा गया है जो पृ० 33-30/प० पर द्रष्टव्य है।

संकल्प के अनुसार इस विस्तृत दिशा निर्देश को विधि विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति से जारी किया जाना है।

अतएव संकल्प में वर्णित प्रावधानों के तहत दि० 1.1.24 को या उसके पश्चात Enrolled सभी नये अधिवक्ताओं को 3 (तीन) वर्ष तक 5000/= (पाँच हजार) रुपये प्रतिमाह stipend के भुगतान हेतु बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति द्वारा प्रस्तावित दिशा निर्देश कंडिका 1 से 7 यथा पृ० 19-20/टि० के रेखांकित अंश 'क' के प्रस्ताव में माननीय मंत्री विधि का अनुमोदन कृपया प्राप्त किया जा सकता है।

K.K.
5/1/26

सचिव

623/प्र०स०
05/01/26

बिहार सरकार
विधि विभाग

टिप्पणी पृ० सं० – 22–

संचिका संख्या – H/HO– 02/2025

अंजनी कुमार सिंह

मंगल पाण्डेय
मंत्री
विधि विभाग, बिहार, पटना।

15 JAN 2026

पत्रांक 30/26, दि- 13/01/26, प्राप्त बिहार महाधिवक्ता-सह- अध्यक्ष, बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति, पटना, पृ० - 37–34/प०

बिहार सरकार
विधि विभाग

Dated-18.02.2026

In my considered view, there is no necessity of placing the matter before the Cabinet, seeking approval in regard to the Matrix which has been formulated by the Trustee Committee placed on Pages 34-35/C, enclosed with letter of the undersigned addressed to Secretary-cum-Legal Remembrancer, Law Department, Government of Bihar. It is to be noticed that the Cabinet approved the scheme to grant stipend of 5000/- per month to Advocate freshly enrolled on or after 1st January, 2024 and in subsequent years. In Para-4(ka) it is provided that Advocates enrolled on or after 01.01.2024 shall be entitled to stipend of 5000/- per month for a period of three years on the conditions (i) Enrolled with the Bihar State Bar Council, (ii) should be Member of Advocate Association and certified by Advocate Association that they are in active legal practice and (iii) the amount shall be disbursed through Bihar Advocate Welfare Trustee Committee. The Committee shall select eligible advocates for payment of stipend. It is further provided that detail guidelines will be issued by Bihar Advocate Trustee Committee with the consent of Law Department and Finance Department.

It needs to be mentioned that the conditions as incorporated in the resolution of the Cabinet (Page 14-15/C) no change has been made in the guidelines. The guidelines on the other hand provides for detail mechanism with a view to ensure that such stipend is paid only to eligible advocates and therefore certain measures are being adopted. The guideline, therefore, is in consonance with Cabinet Resolution which provides that detail guidelines shall be issued by the Trustee Committee with the consent of Law Department and Finance Department.

In view of above, since no modification is being made in any of the stipulations approved by the Cabinet, in my considered view fresh Cabinet approval is not required.

P.K. Shahi
18.2.26

(Prashant Kumar Shahi)
Advocate General, Bihar

Advocate General, Bihar
High Court, Patna

ADVOCATE GENERAL, BIHAR
HIGH COURT PATNA
I.O.I. No. 236/26
DATE 18-02-26

सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि विभाग
18 FEB 2026

126

कृपया पूर्व पृष्ठ की टिप्पणी ।

2. विधि विभाग द्वारा दिनांक–01.01.2024 या उसके पश्चात Enrolled सभी नये अधिवक्ताओं को तीन वर्ष तक ₹5000 प्रति माह Stipend का भुगतान से संबंधित विषय पर वित्त विभागीय सहमति हेतु संचिका पुनः उपलब्ध करायी गई है ।

3. उल्लेखनीय है कि संदर्भित मामले में पूर्व में वित्त विभागीय सहमति एवं मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन के पश्चात निर्गत विधि विभाग का संकल्प संख्या–6376 दिनांक–04.10.2025 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक–01.01.2024 या उसके पश्चात Enrolled सभी नये अधिवक्ताओं को तीन वर्ष तक ₹5000 प्रति माह Stipend का भुगतान करने की स्वीकृति दी गई थी।

4. प्रशासी विभाग द्वारा पूर्व के शर्त्तों के अतिरिक्त विषयगत मामले में कतिपय अतिरिक्त शर्त्तों को जोड़ा गया है, जिसे निम्नवत् देखा जा सकता है ।

वर्त्तमान	प्रस्तावित
i. बिहार स्टेट बार काउन्सिल में पंजीकृत (Enrolled) होना चाहिये। ii. बिहार राज्य के किसी भी अधिवक्ता संघ का सदस्य होना चाहिये तथा अधिवक्ता संघ द्वारा यह प्रमाणित होना चाहिये कि वे व्यावहारिक रूप से वर्त्तमान में सक्रिय विधि व्यवसायी (Active Legal Practitioner) है । iii.संदर्भित राशि बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति के माध्यम से दी जानी चाहिए तथा बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति उक्त शर्त्तों के अध्याधीन इस हेतु सुयोग्य पात्र का चयन करेगा एवं राशि का भुगतान करेगा ।	i. छात्रवृति के लिए आवेदन करने की तिथि पर आयु 22 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ii. यदि अधिवक्ता पहले किसी सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संस्थान में कार्यरत रहे हो, तो वे stipend के लिए पात्र नहीं होंगे। iii. संबंधित बार एसोसिएशन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जारी किया गया Practice/Experience का प्रमाण–पत्र, जिससे अधिवक्ता संबद्ध है। iv. पिता/माता की आय 12 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। v. अधिवक्ता व्यक्तिगत रूप से या अपने पत्नी के नाम से किसी भी व्यवसाय/पेशा में शामिल नहीं होना चाहिए। **नोटः–** अधिवक्ता को किसी भी व्यवसाय या पेशा में शमिल न होने के संबंध में एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा। vi. अधिवक्ता को बिहार राज्य बार कांउसिल, पटना में पंजीकृत होना अनिवार्य है। vii. संबंधित बार एसोसिएशन द्वारा जारी सक्रिय अभ्यास का प्रमाण–पत्र अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। viii. बिहार राज्य का आवासीय/अधिवास प्रमाण–पत्र। ix. अधिवक्ता को बिहार राज्य के न्यायालय/ट्रिब्यूनल में वकालत करनी होगी। x. यदि अधिवक्ता पहले किसी अन्य राज्य के बार कांउसिल में नामांकित था और बाद में वह बिहार राज्य बार कांउसिल में स्थानांतरित/नामांकित हो गया है तो वह परिषद् के सदस्य के रूप में, केवल शेष निर्धारित अवधि के लिए stipend के पात्र होंगे। xi. अधिवक्ता को राज्य बार कांउसिल में नामांकन की तिथि से 2 वर्ष के अंदर AIBE परीक्षा उर्त्तीण करनी होगी । xii. Stipend प्राप्त करने के एक वर्ष बाद शेष 2 वर्षों के लिए stipend प्राप्त करने हेतु अधिवक्ता को प्रति वर्ष न्यूनतम 5 मामलों में उपस्थिति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। xiii. AIBE परीक्षा उर्त्तीण करने के बाद छात्रवृति की शेष अवधि का लाभ उठाने के लिए न्यास समिति का सदस्य होना अनिवार्य है। xiv. AIBE परीक्षा उर्त्तीण न करने की स्थिति में वैधानिक अवधि के बाद शेष अवधि का stipend प्रदान नहीं किया जायेगा। xv. अधिवक्ता को किसी भी अपराधिक मामले में दंडित/दोषी नहीं ठहराया गया हो। **नोटः–** वकील को किसी भी अपराधिक मामले में दोषी न ठहराये जाने के संबंध में एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा। xvi. अधिवक्ता के पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है। xvii. Stipend के लाभ से संबंधित किसी भी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने के मामले में बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति का निर्णय अंतिम होगा। **नोटः–** बिहार एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्टी कमिटी के पास आवश्यकता पड़ने पर योजना की समीक्षा करने और संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है ।

5. पूर्व पृष्ठ की तालिका से स्पष्ट होगा कि दिनांक–01.01.2024 या उसके पश्चात Enrolled सभी नये अधिवक्ताओं को तीन वर्ष तक ₹5000 प्रति माह Stipend का भुगतान हेतु पूर्व से निर्धारित शर्त्तों के अतिरिक्त कतिपय अन्य शर्त्तों को जोड़ा जाना है। कुछ शर्त्त पूर्व की शर्त्तों के अध्याधीन प्रतीत होते हैं तथा कुछ अन्य शर्त्त पूर्व से निर्धारित शर्त्तों के अतिरिक्त प्रतीत होता है ।

6. बिहार कार्यपालिका नियमावली के नियम–21 की चतुर्थ अनुसूची की कंडिका–10 में उल्लेखित है कि मंत्रिपरिषद् द्वारा नीतिगत निर्णय के अधीन स्वीकृत तथा निर्गत अधिनियम / संकल्प / अधिसूचना / नियमावली / उप विधि इत्यादि द्वारा आच्छादित प्रपत्र एवं अनुसूची इत्यादि में संशोधन के प्रस्ताव, परन्तु यह तब जबकि प्रपत्र एवं अनुसूची का ऐसा संशोधन मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित नीतिगत निर्णय के प्रतिकूल न हो, सक्षम प्राधिकार, विभागीय मंत्री है (पृ०–39–38 / प०) ।

7. विधि विभागीय संकल्प सं०–6376 दिनांक–04.10.2025 की कंडिका–2 में अंकित है कि कंडिका–2 (क) एवं (ख) के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति द्वारा विधि विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार की सहमति से जारी किया जायेगा।

8. इस क्रम में पृ०–37 / टि० में अंकित टिप्पणी में पर प्रशासी विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि पृ०–36 / टि० पर विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त परामर्श के अनुसार प्रासंगिक मामले में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति अपेक्षित नहीं है। संदर्भित प्रस्ताव पर माननीय विधि मंत्री का अनुमोदन पृष्ठ–22 / टि० (प्रशासी विभाग की संचिका का पृष्ठ–22 / टि०) पर अवलोकनीय है।

9. उपर्युक्त कंडिका–2 से 8 में वर्णित तथ्यों एवं विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त परामर्श के आलोक में प्रशासी विभाग के प्रस्ताव पर विचार करते हुए वित्त विभाग की सहमति दी जा सकती है ।

10. उपर्युक्त कंडिका–9 में अंकित प्रस्ताव पर कृपया माननीय वित्त मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।

Ajay 2/3/2026
(अजय कुमार ठाकुर)
संयुक्त आयुक्त

सचिव (व्यय) (अवकाश में)
अपर मुख्य सचिव

आनन्द किशोर 2/3/26

माननीय मंत्री

812/JC/AKT
02/03/26

अपर मुख्य सचिव, वित्त का कोषांग
संचिका प्राप्ति सं. 655
दिनांक 02/3/26

मंत्री कोषांग
वित्त एवं वाणिज्य-कर विभाग
प्राप्ति संख्या 184
प्राप्ति तिथि 02.03.26
वापसी तिथि 06/3/26

6/3/26

बिजेन्द्र प्रसाद यादव

प्रसंगाधीन प्रस्ताव की समीक्षा वित्त विभागीय छाया संचिका के टिप्पणी पृष्ठ सं०–.....01...... से .....43...... पर की गई । सम्यक् विचारोपरांत वित्त विभागीय अंतिम परामर्श से संबंधित प्रासंगिक टिप्पणी पृष्ठ सं०–....42.... से ....43....को मूल रूप में प्रशासी विभाग की संचिका में यथोचित कार्रवाई हेतु पृष्ठ सं०–..42/35..से..43/36.. के रूप में संलग्न किया जा रहा है, जिसमें अंकित ऊपर की संख्या वित्त विभागीय अंतिम परामर्श से संबंधित टिप्पणी की पृष्ठ संख्या को एवं नीचे की संख्या प्रशासी विभाग की मूल संचिका के टिप्पणी भाग की आगे के पृष्ठ संख्या को क्रमबद्ध रूप में दर्शाता है । तद्नुसार प्रशासी विभाग की संचिका में टिप्पणी भाग की अगली पृष्ठ की संख्या......38......से अंकित की जा सकेगी ।

विधि विभाग

06/03/26

सचिव ... विधि परामर्शी, विधि विभाग
09 MAR 2026
बिहार, पटना

B.S. Mehta 9.3.26.

L.K.K. 9/3/26

37

BIHAR ADVOCATES WELFARE TRUSTEE COMMITTEE
BIHAR BAR COUNCIL BHAWAN, PATNA-800 001
Phone No.0612 2504508

Ref:...30.../2026 **Date:.13./01/2026**

From ,

Sri Prashant Kumar Shahi,
The Advocate General-cum- Chairman
Bihar Advocate Welfare Trustee Committee,
Bar Council Bhawan, Patna.

To,

The Secretary -cum- Legal Remembrancer,
Law Department ,
Government of Bihar,
Old Secretariat Building, Patna

Government of Bihar has introduced a scheme for grant of stipend to newly enrolled advocates. The resolution of Government is published on 04.10.2025 in the Official Gazette. It is, inter alia provided that before implementing the scheme, the same needs to be approved by Finance Department in consultation with Law Department.

The Bihar Advocates Welfare Trustee Committee in its meeting held on 12.12.2025 has formulated and approved the scheme for implementation of Government decision contained in Resolution dated 04.10.2025. The scheme so formulated and approved by the Bihar Advocates Welfare Trustee Committee is being forwarded herewith. You are requested to process the same so that approval of Finance Department is obtained at the earliest.

<u>Resolution No. 64 of 14.10.2025</u>

The Committee considered the draft of scheme which has been formulated for implementation of State Government decision to provide

36

stipend of Rs. 5000/- per month to young Advocates who are enrolled on or after 01.01.2024 for a period of three years after deliberation the Committee has approved the scheme. It is resolved that the scheme be forwarded to the Department of Law through its Secretary to enable processing of the same and obtaining approval of Finance Department in terms of resolution dated 04.10.2025 published in the Gazette Notification No. A0/A0B0/2025/6376/J0 of Law Department dated 04.10.2025.

P.K. [signature]
13.1.26
Chairman

Enclosure- Rules of stipend

MINUTES OF MEETING HELD ON 14.10.2025 IN THE LIGHT OF LETTER NO. A/A B-02/2025/6376/J DATED 04.102025.

1) On the date of application for stipend, the age must be within 22 to 32 years.
2) Earlier employed in any Government/PSUs Institution, the advocate will not be eligible for the benefit of Stipend.
3) Certificate of the Practice/Experience issued by Ld. Advocate of concerned Bar Association with whom the Advocate is attached.
4) Income of the father/mother must not be more than 12 lakhs.
5) The Advocate must not be involved in any occupation/ business either in his/her own name or in the name of spouse.

   Note- The Advocate must submit an affidavit regarding his non engagement in any occupation or business.

6) The Advocate must be enrolled with Bihar State Bar council, Patna.
7) Certificate of active practice issued by the concerned Bar Association must be submitted by the Advocate.
8) Residential/Domicile certificate of the Bihar State.
9) The Advocate must do practice in the Court/Tribunal in the State of Bihar.

10) If the Advocate was earlier enrolled in other State(s) Bar Council and later on he/she is migrated/enrolled in the Bihar State Bar Council, he/she will be eligible for stipend only for the **remaining** prescribed period.

11) The Advocate should pass AIBE examination within 2 years from the date of enrollment in State Bar Council.

12) After one year of taking benefit of stipend the proof of appearance in minimum 5 cases per year must be submitted by the Advocate for taking benefit of stipend for remaining 2 years.

13) It is compulsory to be the member of the Trustee Committee after passing the AIBE Exam for taking benefit of remaining period of stipend

14) The stipend of remaining period will not be provided after statutory period in case of not passing the AIBE Exam.

15) The Advocate must not be punished/convicted in any criminal case.

Note- The Advocate must submit an affidavit regarding his non conviction in any criminal case.

16) The Advocate must be a Pan Card holder .

29

17) The decision of the Bihar Advocates Welfare Trustee Committee shall be final in the matter of granting or refusing any application regarding the benefit of stipend.

Note-The Bihar Advocates Welfare Trustee Committee reserves its right to review the scheme and/or to amend the scheme if necessary.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

— प्रारूप —

ज्ञाप संख्या-ए0/ए0बी0-02/2025/.....6376...../जे0, पटना, दिनांक-...04-10-2025...

(18)

बिहार सरकार

विधि विभाग

संकल्प

विषय:- **बिहार राज्य के अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु समग्र नीति की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

वर्त्तमान में बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति द्वारा सदस्य अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ जो भी कार्य किए जा रहे हैं वह वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में अपर्याप्त हैं; जिसके कारण बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य के अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु समग्र नीति तैयार किया जाना समीचीन है।

2. अतएव सम्यक् विचारोपरान्त राज्य के अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु निम्नवत् समग्र नीति की स्वीकृति दी जाती है:-

(क) दिनांक-01.01.2024 को या उसके पश्चात् Enrolled सभी नये अधिवक्ताओं को 03 (तीन) वर्ष तक 5,000/- (पाँच हजार) रुपये प्रतिमाह की दर से Stipend निम्न शर्त्तों का अनुपालन करते हुए दिया जायेगा :-

(i) बिहार स्टेट बार काउन्सिल में पंजीकृत (Enrolled) होना चाहिए।

(ii) बिहार राज्य के किसी भी अधिवक्ता संघ का सदस्य होना चाहिये तथा अधिवक्ता संघ द्वारा यह प्रमाणित होना चाहिए कि ये व्यावहारिक रूप से वर्त्तमान में सक्रिय विधि व्यवसायी (Active Legal Practitioner) है।

(iii) संदर्भित राशि बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति के माध्यम से दी जायेगी तथा बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति उक्त शर्त्तों के अध्याधीन इस हेतु सुयोग्य पात्र का चयन करेगा एवं राशि का भुगतान करेगा।

(ख) राज्य के अधिवक्ता संघों द्वारा अनुरोध किये जाने पर उन्हें ई-लाइब्रेरी स्थापित करने हेतु 5,00,000/- (पाँच लाख) रुपये की एकमुश्त सहायता बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति के माध्यम से दी जायेगी।

इस कंडिका-2 (क) एवं (ख) के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति द्वारा विधि विभाग, बिहार एवं वित्त विभाग, बिहार की सहमति से जारी किया जायेगा।

3. बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को सहायता हेतु एकमुश्त 30,00,00,000/- (तीस करोड़) रुपये की राशि प्रदान की जायेगी।

4. आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर योग्य आय से नीचे के आय वाले अधिवक्ताओं को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से चिकित्सीय सहायता प्रदान किये जाने के बिन्दु पर स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना से समुचित निर्णय लेते हुए अग्रेतर कार्रवाई का अनुरोध किया जायेगा।

कृ0पृ0उ0

5. राज्य के प्रत्येक अधिवक्ता संघ में महिला अधिवक्ताओं के लिए पिंक टॉयलेट की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से समुचित निर्णय लेते हुए अग्रेतर कार्रवाई का अनुरोध किया जायेगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Rajeev Kumar dt 4.10.25

(राजीव कुमार)

सरकार के अवर सचिव-सह-प्रभारी सचिव,

बिहार।

ज्ञाप संख्या-ए0/ए0बी0-02/2025/..6376../**जे0, पटना, दिनांक**..04-10-2025

प्रतिलिपि:- प्रभारी ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

Rajeev Kumar. dt 4.10.25

(राजीव कुमार)

सरकार के अवर सचिव-सह-प्रभारी सचिव,

बिहार।

ज्ञाप संख्या-ए0/ए0बी0-02/2025/..6376../**जे0, पटना, दिनांक**..04-10-2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rajeev Kumar dt 4.10.25

(राजीव कुमार)

सरकार के अवर सचिव-सह-प्रभारी सचिव,

बिहार।

ज्ञाप संख्या-ए0/ए0बी0-02/2025/..6376../**जे0, पटना, दिनांक**..04-10-2025

प्रतिलिपि:- विद्वान महाधिवक्ता, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

Rajeev Kumar dt 4.10.25

(राजीव कुमार)

सरकार के अवर सचिव-सह-प्रभारी सचिव,

बिहार।

ज्ञाप संख्या-ए0/ए0बी0-02/2025/..6376../**जे0, पटना, दिनांक**..04-10-2025

प्रतिलिपि:- सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rajeev Kumar dt 4.10.25

(राजीव कुमार)

सरकार के अवर सचिव-सह-प्रभारी सचिव,

बिहार।

कृ0पृ0उ0

ज्ञाप संख्या-ए0/ए0बी0-02/2025/..6376../**जे0, पटना, दिनांक**..04-10-2025

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को, मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-03.10.2025 के मद संख्या-63 में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में, सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rajeev Kumar dt 4.10.25

(राजीव कुमार)

सरकार के अवर सचिव-सह-प्रभारी सचिव,

बिहार।

ज्ञाप संख्या-ए0/ए0बी0-02/2025/..6376../**जे0, पटना, दिनांक**..04-10-2025

प्रतिलिपि:- सचिव, बिहार राज्य बार काउन्सिल, उच्च न्यायालय परिसर, पटना/ सचिव, बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति, उच्च न्यायालय परिसर, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

Rajeev Kumar dt 4.10.25

(राजीव कुमार)

सरकार के अवर सचिव-सह-प्रभारी सचिव,

बिहार।

ज्ञाप संख्या-ए0/ए0बी0-02/2025/..6376../**जे0, पटना, दिनांक**..04-10-2025

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, विधि विभाग (बजट एवं योजना शाखा), बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rajeev Kumar dt 4.10.25

(राजीव कुमार)

सरकार के अवर सचिव-सह-प्रभारी सचिव,

बिहार।

ज्ञाप संख्या-ए0/ए0बी0-02/2025/..6376../**जे0, पटना, दिनांक**..04-10-2025

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Rajeev Kumar dt 4.10.25

(राजीव कुमार)

सरकार के अवर सचिव-सह-प्रभारी सचिव,

बिहार।